न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी लूणी, जिला जोधपुर

सुमन पत्नी भलाराम पुत्री कालूराम बनाम राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार लूणी

राजस्व विविध प्रार्थना संख्या : 211/2025

अन्तर्गत धारा :– रैकर्ड दुरूस्ती

हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
6.10.25	पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी सुमन पत्नी भल्लाराम पुत्री कालूराम जाति मेघवाल निवासी रोहिचा कला हाल निवासी लूणी द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर ग्राम रोहिचा कला के खसरा नंबर 286 के राजस्व रैकर्ड में प्रार्थीया का नाम सुमन पुत्री कालूराम दर्ज करने का निवेदन किया है। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर तहसीलदार लूणी को तहरीर जारी कर प्रकरण में जवाब/जांच हेतु लिखा गया। तहसीलदार लूणी के प़'त्रांक/भू.अ./2025/3023 दिनांक 06.10.2025 के द्वारा जांच रिपोर्ट प्राप्त हुई जो शामिल पत्रालवी की गई। तहसीलदार लूणी से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार ग्राम रोहिचा कला के खसरा नंबर 286 के राजस्व रैकर्ड में सुगनी पुत्री कालुराम हिस्सा 9/280 जाति मेघवाल सा.देह खातेदार दर्ज है जो कि फौतेदगी नामान्तरकरण संख्या 791 विरासत से दर्ज हुआ है। अन्य सहखातेदारों व मौत बिरानी से पुछताछ में सुगनी पुत्री कालुराम व सुमन पुत्री कालुराम एक ही महिला होना बताया गया। प्रार्थीया के समस्त दस्तावेजों में भी सुमन पुत्री कालूराम के नाम से है। अतः तहसीलदार लूणी की रिपोर्ट एवं पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों के आधार पर प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम के तहत पोषणीय होने से स्वीकार किया जाकर तहसीलदार लूणी को निर्देशित किया जाता है कि ग्राम रोहिचा कला के खसरा नंबर 286 के राजस्व रैकर्ड में खातेदार का नाम सुगनी पुत्री कालुराम के स्थान पर सुमन पुत्री कालुराम रेकर्ड दुरस्ती का अमल दरामद करें। आदेश सुनाया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी लूणी (जोधपुर) राज.	